04/03/25 पत्रावली पेश। उभय पक्षकारान उपस्थित।
प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मौजा बड़सम के ख.नं. 417 रकबा 3.22 हेक्टेयर में मूल वाद के निस्तारण तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को यथावत रखने का निवेदन किया।
अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं मनगढ़त व प्रार्थना पत्र सारहीन होने से प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।
हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सूक्ष्म अवलोकन किया तथा प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

मु.नं. 22/2022

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

— :आदेश:—

अत: अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि मौजा बड़सम के आराजी ख.नं. 417 रकबा 3.22 हेक्टेयर में प्रार्थीगण के आवागमन, सहित काश्त के अधिकार में हस्तक्षेप दखलंदाजी ना करे। मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner